



**FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA**  
**O/o Deputy Conservator Of Forest , Bhiwani**

Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@yahoo.com

क्रमांक / 869  
सेवा में:

दिनांक / 22/09/2023

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)  
हरियाणा, पंचकूला।


विषय: Diversion of 0.1785 ha. of Forest land for access permission for transportation of Mining area at Vill- Khanak under Forest Division and District Bhiwani, Haryana. Proposal no. FP/HR/App/146575/2021

सन्दर्भ : आपका पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन- 10371 / 1607 दिनांक 22.9.2023

---000----

संदर्भाकित पत्र के सम्बन्ध में उपरोक्त विषय पर लगाई गई त्रुटि बारे आपको अवगत करवाया जाता है कि:-

1. उक्त रास्ते के उपयोग के लिए माईनिंग कम्पनी HSIIDC के विरुद्ध IFA,1927 के तहत Forest Offence Report (FOR) जारी कर दी गई है (प्रति संलग्न) तथा अभियोजन केस दायर करने बारे आगामी कार्यवाही की जा रही है।
2. उक्त अवैध रास्ते को बंद न करवाने बारे सम्बंधित कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है (प्रति संलग्न)।

  
वन मण्डल अधिकारी,  
भिवानी।

DRR No 11 TF/2021-22



# वन अपराध रिपोर्ट

0702

वन विभाग, हरियाणा सरकार

069

FOR Book No. ....

FOR No. ....

वन मण्डल	मिनाली				
जंगल/घाट/घाट	तोशाप, सरल, सरल				
जंगल/जगह का नाम	हिसार से तोशाप सरल KM 34-35 के इलाके वन 72 में				
FOR No. (Date, Day & Time)	069/0702 dated 24/2/2022				
रिपोर्ट जारी करने वाले का नाम	दिनेश कुमार वरुण				
अपराध की जानकारी का स्रोत	वचन द्वारा गस्त/मुखवीर द्वारा/शिकायत				
अपराध होने के तारीख/दिन/समय	24/2/2022				
ज्ञात अधिकारी का नाम व पद	अजीत कुमार वरुण				
अपराध घटना का विवरण संलग्न	✓ नहीं/यदि हां तो पृष्ठ संख्या				
उत्पन्न किया गया अधिनियम	संरक्षण				
भारतीय वन अधिनियम 1927	P.C.A 1980 & 1927				
वन्य प्राणी ( संरक्षण ) अधिनियम 1972	-				
पञ्जाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900	-				
भारतीय दण्ड संहिता	-				
अपराधी का विवरण	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता
	श्री 2/2 श्री 2/2 श्री 2/2 श्री 2/2				हरियाणा राज्य उत्तरांचल प्रदेश एन सी 2/2 श्री 2/2 श्री 2/2 श्री 2/2 लेमिड 2/2 श्री 2/2 श्री 2/2
जब्त वन उपज का विवरण	प्रजाति	किस्म/साइज	संख्या	मूल्य	मुआवजा राशि
	-	-	-	-	-
जब्त वहीकल का विवरण	प्रकार	रजिस्ट्रेशन नं०	रंग	मॉडल	उत्पादन वर्ष
	-	-	-	-	-
औजार/हथियार	-	-	-	-	-
अन्य, यदि कोई हो	-	-	-	-	-
गर्हा को चिन्हित करें	नजरी-नकशा जी०पी०एस० रीडिंग सहित 285405.62 755268.8	संलग्न किया है/तैयार नहीं किया गया			यदि हां तो पृष्ठ संख्या
	फोटोग्राफ	संलग्न/तैयार नहीं किया गया			
	विडियोग्राफी	संलग्न/तैयार नहीं किया गया			
R.O.A.C.	285403.73 755265.81				

मुखवीर/ शिकायतकर्ता/गवाह के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

दीनेश कुमार वरुण

व० रा० अ०

नाम जयपाल सिंह

रैंक वरुण वरुण

दिनांक 24/2/2022

आरोपी का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

मुल्यमापन का विवरण

वन भूमि पर जो नोड करके 8 वर्षों शकती वनाभा गमा दि सभ्य विकरण गीला सहे 94

(1)  $2 \times 20.5 \text{ m} \times 85 \text{ m} = 1742 \text{ SQ.M}$

(2)  $0.5 \times 20.5 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 3075 \text{ SQ.M}$

(3)  $2 \left( \frac{1}{2} \times 5 \times 5 - 2 \right) / 3 \times 7.07 \times 1.46$   
 $= 25 - 13.76 = 11.24 \text{ SQ.M}$

Total  $= 1785.49 \text{ SQ.M} = 0.1785 \text{ Hect}$

*Pin mfr*



# FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA

O/o Deputy Conservator Of Forest , Bhiwani

Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@yahoo.com

क्रमांक / 1872

दिनांक / 28/08/2023

सेवा मे,

वन राजिक अधिकारी,  
तोशाम।

विषय: खानक में वन भूमि से अवैध रास्ता देने बारे कारण बताओ नोटिस।  
संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1584 दिनांक 11.8.2023

संदर्भाकित पत्र के सम्बंध में आपको खानक में वन भूमि से अवैध रास्ता देने हेतु कारण बताओ नोटिस का जवाब 03 दिन के अन्दर-2 भेजने बारे लिखा गया था, परंतु आप द्वारा 14 दिन उपरांत भी इस बारे कोई भी जवाब इस कार्यालय में नहीं भेजा गया है। अतः इस बारे आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि आपने किसके आदेशो से खानक में वन भूमि में से HSIIDC माईनिंग कम्पनी को माईनिंग क्षेत्र से परिवहन के लिए रास्ता दिया हुआ है। इस बारे आप द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है और इस रास्ते को बंद क्यों नहीं करवाया गया है। आप द्वारा वन अपराधी के खिलाफ पी0 सी0 केस दायर करने बारे क्या कार्यवाही की गई है। इस बारे आप अपनी पूर्ण रिपोर्ट बिना किसी विलम्ब के इस कार्यालय में भेजे तथा कारण स्पष्ट करें कि आपने अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही क्यों की है। इस बारे आप अपना जवाब 03 दिन के अन्दर-2 इस कार्यालय में भेजें। इसे अति आवश्यक समझे।

उप वन संरक्षक,  
भिवानी।

25-8-23 25/8/23